International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक सम्पदा अधिकार अंतर्गत भारत के भौगोलिक संकेतको का विश्लेषण

डॉ. शिल्पा नाथ

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा

प्रस्तावना :

भारत विविध संस्कृति, विभिन्न कलाओं और शिल्पों का घर है, जिनमें कई पीढ़ियों ने वर्षों से महारत हासिल की है। भौगोलिक संकेतक (जीआई) उसी का उन्नत स्वरुप है | प्रत्येक देश के पास कुछ ऐसे भोगोलिक क्षेत्र होते हे जिनकी औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशिष्ठता होती है| इन्ही क्षेत्रो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने का कार्य भौगोलिक संकेतक (जीआई) के माध्यम से पूर्ण होता है | बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों में भौगोलिक संकेतक भी अपना विशेष स्थान रखता है| भौगोलिक संकेतक एवं उत्पत्ति के अभिधान ऐसे संकेतक हैं जिनका उपयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है|

अध्ययन के उद्धेश्य:

प्रस्तुत शौध पत्र 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार अंतर्गत भारत के भौगोलिक संकेतको का विश्लेषण' में कुछ निश्चित उद्धेश्यो को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन किया गया है :

1. भारत में भौगोलिक संकेतको की राज्यवार स्थिति को ज्ञात करना |
2. मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतको कि जानकारी प्राप्त करना |
3. भौगोलिक संकेतको के आर्थिक महत्त्व को प्रतिपादित करना |

शौध प्रविधि :

प्रस्तुत शौध पत्र 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार अंतर्गत भारत के भौगोलिक संकेतको का विश्लेषण' में प्रयुक्त द्वितीयक समंको का संग्रहण, प्रकाशित एवं इन्टरनेट के माध्यम से संग्राहित कर उनका विश्लेषण अध्ययन के उद्धेश्य के अनुसार किया गया है | द्वितीयक समंको का संग्रहण भारत सरकार, विश्व व्यापार संगठन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशित समंको का प्रयोग किया गया है|

साहित्य समीक्षा:

(दास कस्तूरी, 2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रासंगिक बाजारों (घरेलू और निर्यात) में अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के अलावा, जीआई की सफलता बड़े पैमाने पर उत्पाद के उचित विपणन और प्रचार पर निर्भर करती है - भारत जैसे विकासशील देश से कई हितधारकों के लिए निष्पादित करने के लिए ऐसे कार्य जो न केवल संसाधन-गहन हैं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी हैं |

(Ravindran Sudhir,2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि भौगोलिक संकेत (जीआई) का संरक्षण पिछले कुछ वर्षों में सबसे विवादास्पद आईपीआर (बौद्धिक संपदा) में से एक के रूप में उभरा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते (ट्रिप्स) में इस सम्बन्धी प्रावधान भी किये गए है | जीआई किसी भी संकेत के रूप में जो किसी उत्पाद को किसी विशेष स्थान से उत्पन्न होने के रूप में पहचानता है, जहां दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य उत्पाद की विशेषताएं अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल के कारण हैं।

भौगोलिक संकेतक :

भौगोलिक संकेतक एवं उत्पत्ति के अभिधान ऐसे संकेतक हैं जिनका उपयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा जिनके पास गुण, प्रतिष्ठा अथवा विशेषताएं होती हैं जो मूल रूप से उस उद्गम स्थल के कारण जानी जाती हैं। भौगोलिक संकेतक का पूरा नाम Geographical Indication Tag है। जी आई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है, जिनका उत्पादन किसी विशेष क्षेत्र में 10 वर्षों से हो रहा है। इस प्रकार भौगोलिक संकेतक एक ऐसा संकेतक है जो किसी विशेष स्थान पर 10 वर्षो से होने वाले उत्पाद को चिन्हित करता है।

विश्व स्तर पर प्रदाय भोगोलिक संकेतको कि स्थिति (2018)

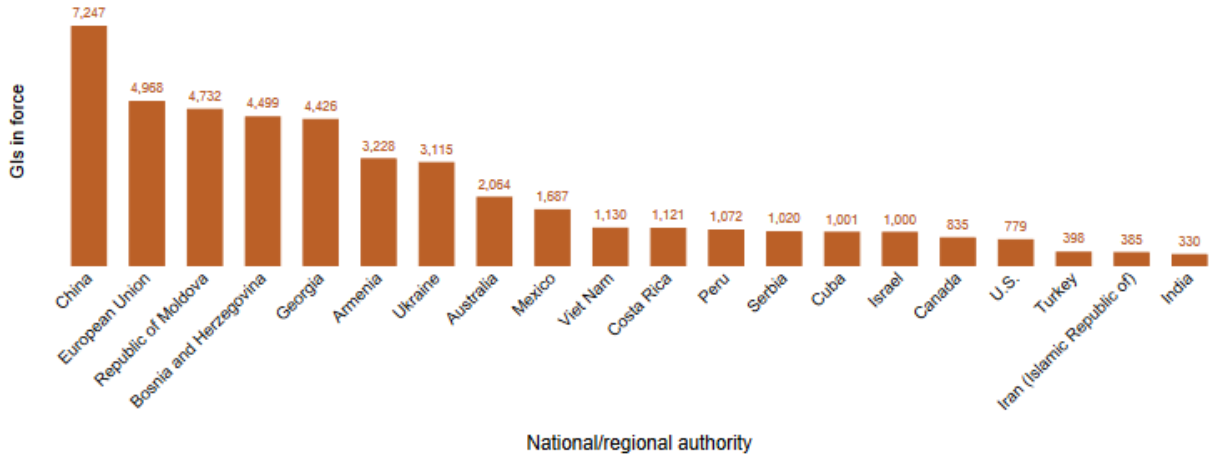

Source: WIPO Statistics Database, August 2019.

उपरोक्त चित्र का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक चाइना के नाम पर पंजीकृत(7247) है | सम्पूर्ण विश्व में 2022 तक कुल 65,900 भौगोलिक संकेतक पंजीकृत है |

भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने कि प्रक्रिया :

औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते द्वारा शासित होता है।
- भारत में भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा प्रशासित होता है जो सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ।
- भारत में पहला उत्पाद जिसे भौगोलिक संभावना के साथ जोड़ा गया था वह वर्ष 2004-05 में दार्जिलिंग चाय थी।

भारत में भौगोलिक संकेतक की शुरुआत :

विश्व व्यापार संगठन सम्पूर्ण विश्व मे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण करता है,चूँकि भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है अतएव भारत में भौगोलिक संकेतक की शुरुआत 1999 में की गई थी और भारत में पहला भौगोलिक संकेतक (जी आई) 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है। इसकी वैधता समाप्त होने के बाद उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए फिर से जीआई टैग प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेत (जीआई) भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दे के रूप में उभरे हैं। 15 सितंबर 2003 से, जब भारतीय जीआई अधिनियम लागू हुआ तब से लगातार भारत द्वारा धारित भौगोलिक संकेतक में वृद्धि होती जा रही है | भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रदान किये गये है। कर्नाटक में कुल 48 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है।

सिरसी सुपारी नवीनतम उत्पाद है जिसे कर्नाटक के भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। भारत कें अब तक कुल 370 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। जैसे कश्मीर केसर, वायनाड रोबस्टा कॉफी, तेलिया रूमाल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है।

तालिका क्र. 1: भारत के प्रमुख राज्य एवं उनके भौगोलिक संकेतक (2022)

क्र.	राज्य	GI की संख्या
1	कर्नाटक	48
2	तमिलनाडु	42
3	महाराष्ट्र	34
4	केरल	33
5	उत्तर प्रदेश	32
6	पश्चिम बंगाल	21
7	आंध्रप्रदेश	19
8	ओडिशा	18
9	राजस्थान	16
10	गुजरात	15
11	तेलंगाना	15
12	बिहार	13
13	मध्य प्रदेश	13
14	असम	10
15	हिमाचल प्रदेश	9
16	जम्मू कश्मीर	9
17	मणिपुर	8
18	छत्तीसगढ़	6
19	मिजोरम	6
20	नागालैंड	3
21	अरूणाचल प्रदेश	2
22	गोवा	2
23	हरियाणा	2
24	मेघालय	2
25	पंजाब	2
26	दिल्ली	1
27	झारखंड	1

28	त्रिपुरा	1

स्त्रोत: https://www.ipindia.gov.in/

उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भारत में सर्वाधिक 48 भौगोलिक संकेतक कर्नाटक राज्य को प्राप्त है | जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है | उसके पश्चात् तमिलनाडु महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश आते है जिनको क्रमश: 42,34,33,32 भौगोलिक संकेतक प्राप्त है | सबसे कम भौगोलिक संकेतक दिल्ली, झारखण्ड और त्रिपुरा को 1 प्राप्त है |

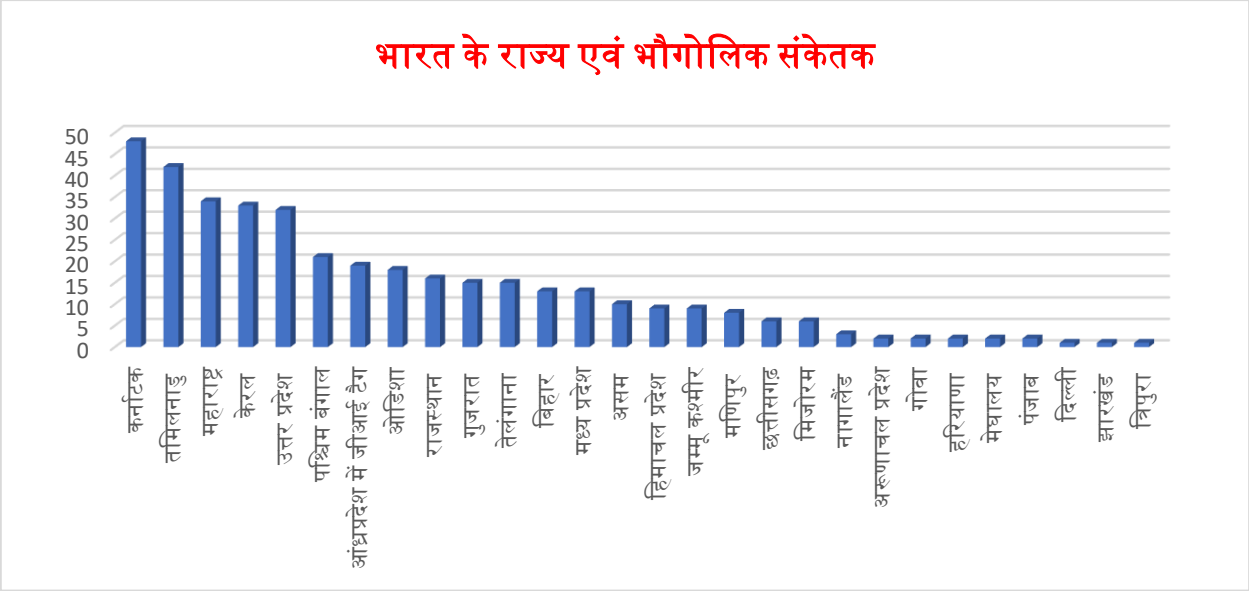

जीआई टैग के लाभ

भौगोलिक संकेत पंजीकरण निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

- उत्पादों के लिए कानूनी सुरक्षा
- दूसरों द्वारा भौगोलिक संभावना उत्पादों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है
- यह उपभोक्ताओं को वांछित गुणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है और प्रामाणिकता का आश्वासन देता है
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी मांग को बढ़ाकर भौगोलिक वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है

लाभों के साथ-साथ जीआई टैग से जुड़े विशिष्ट मुद्दे भी हैं। हाल ही में, विचाराधीन उत्पाद के मूल स्थान के प्रश्न पर विवादों में वृद्धि हुई है। स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में यह और भी गंभीर हो जाता है।

उदाहरण के लिए, पूर्वी भारत की एक लोकप्रिय मिठाई रोशोगुल्ला की उत्पत्ति के विवाद। पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों का दावा है कि मिठाई की उत्पत्ति उनके अपने राज्यों में हुई है। जीआई टैग 'जीत' कर, प्रत्येक राज्य दूसरे के ऊपर अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भाषावाद को बढ़ावा देना चाहता है।

चर्चा के बिंदु के रूप में, इस प्रकार की अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर देश का ध्रुवीकरण करती है। अधिक से अधिक जीआई टैग हासिल करने की अपनी हड़बड़ी में, अधिकांश राज्य पहले से ही जीआई टैग वाले उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान देना भूल गए हैं।

नतीजतन, न तो स्थानीय समुदाय और न ही ग्राहक को आर्थिक रूप से लाभ होता है। यह प्रवृत्ति देशी स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई सुरक्षा के विचार को ही रेखांकित करती है।

मध्यप्रदेश को प्राप्त भोगोलिक संकेतक :

मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश माना जाता है, मध्यप्रदेश भी कई क्षेत्रो में अपनी एक विशेष पहचान रखता है| प्राकृतिक, कृषि, भौतिक संपदा, हस्तशिल्प, काष्ठकला व अन्य कई ऐसे उत्पाद हे जिनको भौगोलिक संकेतक प्राप्त है किन्तु अन्य राज्यों के मुकाबले कम है|

तालिका क्र. 2: मध्यप्रदेश के भौगोलिक संकेतक

क्रम सं.	भौगोलिक संकेतक	प्रकार
1	चंदेरी वस्त्र	हस्तशिल्प
2	इंदौर के चमड़े के खिलौने	हस्तशिल्प
3	मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट	हस्तशिल्प
4	दतिया एवं टीकमगढ़ के कांस्य बर्तन/बेल मेटल वेयर (लोगो)	हस्तशिल्प
5	दतिया एवं टीकमगढ़ के कांस्य के बर्तन	हस्तशिल्प
6	चंदेरी साड़ी	हस्तशिल्प
7	नागपुर संतरे	कृषि
8	इंदौर के चमड़े के खिलौने लोगो	हस्तशिल्प
9	रतलामी सेव	खाद्य सामग्री
10	बाघ प्रिंट लोगो	खाद्य सामग्री
11	झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मांस	खाद्य सामग्री
12	महेश्वर साड़ी एवं वस्त्र	हस्तशिल्प
13	चिन्नौर चावल जीआई टैग	चावल | भोजन

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश राज्य को कुल 13 भौगोलिक संकेतक प्राप्त है |

जीआई टैग का महत्व

एक भौगोलिक संकेत अधिकार उन लोगों को सुविधा प्रदान करता है जिनके पास तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए संकेत का उपयोग करने का अधिकार है, जिसका उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप नहीं है।

ग्रामीण विकास में जीआई की भूमिका

भौगोलिक संकेत ज्यादातर पारंपरिक उत्पाद हैं, जो ग्रामीण समुदायों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पादित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने सटीक गुणों के लिए बाजारों में प्रमुखता प्राप्त की है। इन उत्पादों के बाजारों की मान्यता और सुरक्षा उत्पादकों के समुदाय को उस उत्पाद के सटीक गुणों को समर्पित करने और बनाए रखने की अनुमति देती है, जिस पर प्रतिष्ठा बनी है। यह उन्हें उत्पाद की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ निवेश करने की अनुमति भी दे सकता है।

जीआई के कुछ देखे गए ग्रामीण विकास प्रभाव हैं:

- आपूर्ति श्रृंखला एक सामान्य उत्पाद प्रतिष्ठा के आसपास संरचित है
- जीआई उत्पाद के लिए बढ़ी हुई और स्थिर कीमतें
- आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों के माध्यम से वितरित मूल्य जोड़ता है
- प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है जिन पर उत्पाद आधारित है
- परंपराओं और पारंपरिक विशेषज्ञता का संरक्षण
- पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है|

भौगोलिक संकेत संरक्षण

भौगोलिक संकेतों को विभिन्न देशों और क्षेत्रीय प्रणालियों में दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से और अक्सर दो या अधिक दृष्टिकोणों के समेकन का उपयोग करके संरक्षित किया जाता है।

भौगोलिक संकेत की सुरक्षा के तीन प्रमुख तरीके हैं:

1. तथाकथित सुई जेनरिस सिस्टम (यानी सुरक्षा के विशेष नियम)
2. सामूहिक या प्रमाणन चिह्नों का उपयोग करना
3. प्रशासनिक उत्पाद अनुमोदन योजनाओं सहित व्यावसायिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीकें

जीआई के लिए आगे का रास्ता

- पूरी तरह से ऐतिहासिक और अनुभवजन्य जांच के बाद ही भौगोलिक संकेतों के लिए टैग आवंटित करने की आवश्यकता है।
- उन उत्पादों के लिए जिनकी उत्पत्ति का प्रभावी ढंग से पता नहीं लगाया जा सकता है, या तो दोनों राज्यों को स्वामित्व दिया जाना चाहिए या किसी भी क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है।
- राज्यों और समुदाय का ध्यान केवल क्षेत्र के लिए प्रमाणन से हटकर सभी संसाधनों को उत्पाद और उसके संबंधित उद्योग के सक्रिय प्रचार की ओर मोड़ने की जरूरत है।

भारत में भौगोलिक संकेतकों का सारांश

- वस्तुओं के भौगोलिक संकेतकों को औद्योगिक संपत्ति के उस पहलू के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उस देश या उस उत्पाद के मूल स्थान के रूप में किसी देश या उसमें स्थित किसी स्थान के संदर्भ में भौगोलिक संकेत को संदर्भित करता है।
- औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत, भौगोलिक संकेत आईपीआर के एक तत्व के रूप में शामिल हैं।
- आमतौर पर, भौगोलिक संभावना गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देती है जो अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक इलाके, क्षेत्र या देश में इसकी उत्पत्ति के तथ्य के कारण है।
- वे बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं के अनुच्छेद 22 से 24 के तहत भी शामिल हैं, जो GATT वार्ताओं के उरुग्वे दौर के समापन समझौते का हिस्सा था।
- भौगोलिक संकेतों के प्रवर्तक उन्हें अपने राष्ट्रीय संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत उपकरण के रूप में मानते हैं। हालाँकि, विरोधी जीआई को व्यापार में बाधा मानते हैं।

सन्दर्भ :

1. https://www.ipindia.gov.in/
2. https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook+of+Statistics+on+Indian+States
3. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter5.pdf
4. www.adda247.com/upsc-exam/updated-list-of-geographical-indication-tags-in-india-hindi/
5. Geographical Indications in India 2023 - List of भौगोलिक संकेतक Products (byjus.com)
6. https://www.iasbook.com/hindi/bhaugolik-sanketak-evam-adhiniyam/
7. https://www.mpgkpdf.com/2021/05/gi-tag-kya-hota-hai.html
8. https://studyqz.com/india-gi-tag-2022-list-in-hindi-important-gi-tag-2022/